सं. 31011/3/2015-स्था.(क-IV)

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

****

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक : 09 फरवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियमावली, 1988 - प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 18.02.2016 के समसंख्यक का.ज्ञा. में संलग्न दिशा-निर्देशों के पैरा 8 एवं 9 का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि मुद्दों पर पुनर्विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि जिन मामलों में कोई सरकारी सेवक परिवहन के प्राधिकृत साधन द्वारा निकटतम एयरपोर्ट/रेलवे/बस टर्मिनल तक एलटीसी पर यात्रा करता है और दौरे के घोषित स्थान तक शेष यात्रा गैर-सरकारी परिवहन/स्वयं के प्रबंध (जैसे निजी वाहन अथवा प्राइवेट टैक्सी इत्यादि) से करता है, पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी:-

(क). ऐसे सभी मामलों में सरकारी सेवक को यह घोषणा करनी होगी कि उसने और उसके परिवार के सदस्यों, जिनके संबंध में दावे सौंपे गए हैं, ने दौरे के घोषित स्थान तक वास्तव में यात्रा की है।

(ख). यदि किसी क्षेत्र विशेष में सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है तो सरकारी सेवक को निकटतम एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/बस टर्मिनल से सबसे छोटे सीधे मार्ग द्वारा दौरे के घोषित स्थान तक सार्वजनिक परिवहन के अन्यथा हकदार साधन द्वारा यात्रा के लिए देय किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ग). यदि यात्रा के किसी खण्ड विशेष में कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं हो तो सरकारी सेवक को प्राइवेट/निजी परिवहन से पूरी की गई 100 किमी की अधिकतम सीमा के लिए, सरकारी सेवक से स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर, यात्रा के लिए उसकी हकदारी के अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस से अधिक का व्यय सरकारी सेवक द्वारा वहन किया जाएगा।

(घ). झूठी सूचना देने पर सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।